

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रुबी खन्ना पति- स्व० बिनोद खन्ना ग्राम+पो०+थाना- जदाहा जिला- वैशाली सीआर न०- 108112602178608	हृदय रोग एमबीआर	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	कुनाल कुमार पिता- दिनेश पंडित ग्राम- दनियालपुर गेट न०- 12 पो०- तेघडा थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीआर न०- 108112601821167	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शिला देवी पति- मटुकन यादव ग्राम- नयागाव पो०- रामडिहरा थाना- अमझौर जिला- रोहतास सीआर न०- 108112501428778	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	नेहा कुमारी पति- बत्तीस कुमार ग्राम+पो०+थाना- बिहारीगज जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112601245875	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	शहनाज बानो पति- गनी हुसैन ग्राम- हाजीपुर पो0+थाना- रफिगज जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112601709103	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	अनु देवी पति- राम किशोर पाठक ग्राम- भलुआ शकर डीह वार्ड 06 पो0+थाना- तरैया जिला- सारण सीआर न0- 108112300628450	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो0 अजमेर आलम पिता- करीम उद्दीन ग्राम- सैदपुर वार्ड 14 पो0- सैदपुर थाना- मानसी जिला- खगडिया सीआर नं0- 108112604888865	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			6,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,05,000/- (छः लाख पाँच हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

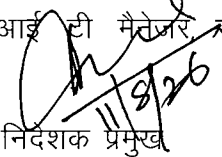
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2297(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **05.08.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बालेश्वर शर्मा पिता— तिनकौरी ठाकुर ग्राम— सलेमपुर पो0— सूतिहार थाना— डेरनी जिला— सारण सीआर न0— 109112400968953	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ~~000870~~..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन

निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2298(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई० डी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय.— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इंद्रजीत कुमार सिंह पिता— सवलिया सिंह ग्राम— माने थाना— एकमा जिला— सारण केस फाईल न०— 11 एफ 2025/009575	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राम सुभग राय पिता— राम सुन्दर राय ग्राम— सादीपुर पो०— गोखले नगर गिष्णुपुर थाना— बलिया जिला— बेगूसराय केस फाईल न०— 19 एफ 2026/003576	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अरुण कुमार साह पिता— स्व० यदु साह ग्राम— रगरेज छपरा पो०+थाना— मेहसी जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०— 19 एफ 2025/006678	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो० मुशताक पिता— मो० फारुक ग्राम— मोहम्मदपुर पो०— सिकवानिया थाना— बजरिया जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०— 19 एफ 2026/004713	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सुनील प्रसाद सिंह पिता- दिनेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- दिघी कला पूर्वी थाना- हाजीपुर सदर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 11 एफ 2024 / 010992	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	समुदरी देवी पति- शिवलाल राय ग्राम- द्वारिकानाथपुर पो0+थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 003796	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मीणा देवी पति- मुरलीधर मंडल ग्राम- सैतपुरा कुलकुलिया पो0- कहलगाव थाना- रसलपुर जिला- भगलपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 005220	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	चिता मणि देवी पिता- झौरी ठाकुर ग्राम- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी बी0एच0 कॉलोनी पो0- बी0एच0 कॉलोनी थाना- अगमकुआँ जिला- पटना केस फाईल नं0- 19 एफ 2026 / 003555	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	शीला देवी पति- हरिलाल साह ग्राम- पटियासा जलाल पो0- मिर्जापुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025 / 006808	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	मास्टर सिद्धार्थ कुमार पिता- मेघनाथ कुमार ग्राम- अहनुमान नगर पो0- नरहा पानापुर थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19 एफ 2026 / 005732	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	प्रेम कुमार राय पिता— देव नदन राय ग्राम— मुसेपुर पो0— मालीपुर थाना— गढपुरा जिला— बेगूसराय केस फाईल न0— 19 एफ 2025/002916	कैंसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
12	सुरेंद्र राम पिता— रीतलाल राम ग्राम— मनियारपुर पो0— बनघारा थाना— घटहो जिला— समस्तीपुर केस फाईल न0— 19 एफ 2026/005539	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	जुलेखा खातून पति— मो0 नजीर राईन ग्राम— खडका पो0— रैन शंकर थाना— रुन्नी सैदपुर जिला— सीतामढी केस फाईल न0— 19 एफ 2025/005579	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	अब्दुल बासित पिता— शाहिद हुसैन ग्राम+पो0— बैरिया थाना— केसरिया जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0— 19 एफ 2026/004775	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सुनीता कुमारी देवी पति— रणधीर प्रताप ग्राम—बहादुर पो0— रेओटिथ थाना— महम्मदपुर जिला— गोपालगज केस फाईल नं0— 12 एफ 2025/003778	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	दर्श कुमार पिता— प्रभाष कुमार मिश्र ग्राम— तीराखारदह पो0— खारदह थाना— सिकटी जिला— अररिया केस फाईल नं0— 19 एफ 2026/003400	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

17	रेहाश कुमार पिता- नीरज कुमार पासवान ग्राम- बाजी बुजुर्ग पो- सुंदरपुर थाना- बरियारपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं- 19 एफ 2026/004539	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			13,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,00,000/- (तेरह लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No-59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2299(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	सच्चितानंद सिंह पिता— स्व० सुदामा सिंह ग्राम+पो०—नीरपुर थाना— चौथम जिला— खगड़िया एम०सी०एस— 10364065	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लालो दास पिता— विदन दास ग्राम+पो०— अहियापुर थाना— मसूरचक जिला— बेगुसराय एम०सी०एस—जी० 8370	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कनबुधिया देवी पति— राज कुमार पोद्दार ग्राम— बारो मुखान टोला बेगुसराय, पोस्ट— बारो थाना—फुलवरिया जिला बेगुसराय एम०सी०एस— 10367146	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सरिता देवी पति— मदन यादव ग्राम— बगला स्थान महावीर रोड पो०—रेलवे स्टेशन गया थाना कोतवाली जिला— गया एम०सी०एस—10365070	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रीता देवी पति- भीखम राय ग्राम- खगनी पो0- मुस्तफाबाद थाना-गोरैया कोठी जिला- सीवान एम0सी0एस-10367276	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	लक्ष्मण सिंह पिता- लुटन सिंह ग्राम- लोहागीर पो0- लोहागीर थाना-उजियारपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस- 10366140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मनोरजन पासवान पिता- शीतल पासवान ग्राम- बिसहरिया पो0- आनदपुरा थाना- उदाकिशुनगंज जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 7153	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मो0 सलमान खान पिता- मो0 रूसतम ग्राम- चोढली पो0- चोढली थाना- बेलदौर जिला- खगडिया एम0सी0एस-10366334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुधीर कुमार केसरी पिता- गोपाल प्रसाद केसरी ग्राम-गरुद्वारा रोड पो0-मधुबनी थाना-मधुबनी टीओपी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस- 10366531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	गुडिया देवी पति- जीतेन्द्र महतो ग्राम- सकुनत कला पो0- बिहार शरीफ थाना-बिहारशरीफ जिला- नालदा एम0सी0एस- 10364789	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	समीर कुमार पिता- मदन लाल ग्राम-शिवपुरी बेउर रोड अनीसाबाद, पो0-अनीसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला पटना एम0सी0एस-10367635	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	राधा देवी पति— सियाराम गुप्ता ग्राम—लाल दरवाजा पो0— लाल दरवाजा थाना— कोतवाली जिला मुगेर एम0सी0एस— 10361598	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	नगीना देवी पति— राजकुमार माझी ग्राम— मगला गौरी पो0— चोंद चौरा थाना— विष्णुपद जिला— गया एम0सी0एस—जी0 12081	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	अशोक सिंह पिता— ननकु सिंह ग्राम— हरिणमार पो0— हिरणमार थाना— हरिणमार जिला— मुगेर एम0सी0एस—10366365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	मनोरमा देवी पति— विभीषण पाण्डेय ग्राम— मसहा पो— कोरिया पीपरा थाना— परिहार जिला— सीतामढी एम0सी0एस— 10365787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	सुदामा महतो पिता— मुनर महतो ग्राम— नवादा पो0— सहवा थाना—इसुआपुर जिला— सारण एम0सी0एस— 10367061	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	मालो देवी पति— कृष्णा महतो ग्राम— देवधा पो0—देवधा थाना पकडी बरावा जिला— नवादा एम0सी0एस—10364027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
18	लक्ष्मी देवी पति— राम सहनी ग्राम— डीहपर पो0— डीहपर थाना— बीरपुर जिला— बेगुसराय एम0सी0एस— 10367736	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

19	रौशन कुमार पिता- रामदेव चौधरी ग्राम- चौधरी टोला मधेपुरा पो0- हरिपुर डीह टोल थाना-कलुआही जिला- मधुबनी एम0सी0एस-एफ 88604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	मोहन मेस्तर पिता- गनेश मेस्तर ग्राम- हसनपुर पो0- हसनपुर मठिया थाना- सिधवलिया जिला गोपालगंज एम0सी0एस-10362778	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	शोभा यादव पिता- स्व0 नथुनी यादव ग्राम- चनौर वार्ड 5 पो0- हनुमान नगर थाना-मनगाछी जिला- दरभंगा एम0सी0एस-103636685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	शनि भारती पिता कमलेश चौधरी ग्राम-हसनपुरा पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला पटना एम0सी0एस- 10367573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	जितेन्द्र सिंह पिता- बलिराम सिंह ग्राम- ग्यासपुर पो0- बलुआ थाना- गुठनी जिला- सीवान एम0सी0एस- 10365512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	निर्मला देवी पति- कृपानंद ठाकुर ग्राम- खाताहाट पो0-एकम्बा थाना- जलालगढ़ जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-10366263	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	उर्मिला देवी पति- मौलेश्वरी मंडल ग्राम-बिजुआही पो0-चौरा थाना+जिला जमुई एम0सी0एस- 10341177 / एफ 95285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	इंदु देवी पति-कमला सिंह ग्राम-छेछुडीह पो0-पचरुखीया थाना- अगियाव जिला- भोजपुर एम0सी0एस-10364852	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
27	बिटु कुमार पिता- दिलचन राम ग्राम- लक्ष्मीपुर लालचद पो0-लक्ष्मीपुर था0- बिहारीगज जिला मधेपुरा एम0सी0एस- 10366389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
28	आशिक कुमार पिता- वृजनदन मडल ग्राम-बराही पो0 बराही थाना- परिहार जिला- सीतामढी एम0सी0एस-10364509	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
29	पियुष कुमार पिता- सजीत पटेल ग्राम+पो0 सिरिसिया जगदीश थाना-कथैया जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-10368081	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
30	मजु देवी पति- मदन दास ग्राम-पो0-मालपुर थाना- पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस- 10366796	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
31	मरयम खातुन पति- मो0 शमीम ग्राम- देवी स्थान के पास मोहल्ला किशुनगज पो0- जहानाबाद थाना+जिला- जहानाबाद एम0सी0एस- 10366551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
32	ज्योतसना पिता- चन्दन कुमार ग्राम- भदौनी पोस्ट+थाना- नवादा जिला नवादा एम0सी0एस-10368146	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

33	सपना कुमारी पति- तेजन यादव ग्राम- जमनापुर पो0- अम्हारा थाना-आई0टी0आई0 जिला- पटना एम0सी0एस-10363843	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
34	ज्ञान्ती देवी पति- सुधीर पंडित ग्राम- रसलपुर पो0- ओरियावाँ थाना- एकगरसराय जिला नालदा एम0सी0एस-10367701	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
35	सतीश कुमार सिंह पिता- स्व0 काशीनाथ सिंह ग्राम+पो0- फकुली थाना- मुफ्फसिल जिला- सारण एम0सी0एस- 10367258	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
36	महेन्द्र कुमार सिंह पिता-छोटे लाल सिंह ग्राम- कोतवाली पो0- हरचडी थाना नवादा बाजार जिला- बांका एम0सी0एस-एफ 69233	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
37	मुकेश कुमार चौधरी पिता- गणेश चौधरी ग्राम- कजरा सहमालपुर पो0- कजरा थाना कजरा जिला- लखीसराय एम0सी0एस- 10365610	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
38	ललिता देवी पति- रामवृक्ष पंडित ग्राम- नजीरपुर पो0- चादचौर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 8948	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
39	रितु कुमार पिता- शकर दास ग्राम- उदयपुर पो0- नादघाट थाना- गौरीचक जिला- पटना एम0सी0एस-10361932	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

40	चपा देवी पति- कन्हाई लाल पटवा ग्राम- मिर्जापुर पो0- रामगढ थाना गरखा जिला सारण एम0सी0एस- 10362625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
41	सुजीता देवी पति- रघुनाथ कुमार ग्राम- परसावा पो0- इलरा थाना चेरकी जिला गया एम0सी0एस-10360235 / जी0 14344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
42	रामदेव दास पिता हरिन दास ग्राम- सिमरबनी पो0- सिमरबनी थाना- भरगामा जिला- अररिया एम0सी0एस-जी0 13794	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
43	बसती देवी पति-दशरथ पाण्डेय ग्राम- धरहरा पो0- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर एम0सी0एस- 10353423 / जी0 7532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
44	गीता देवी पति- बिलास यादव ग्राम- बिहरौरा पो0- महीसोना थाना- रामगढ जिला- लखीसराय एम0सी0एस- 10363347	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
45	प्रिया कुमारी पिता- जय कुमार यादव ग्राम- रघुनाथपुर दक्षिण पो0- रघुनाथपुर थाना- भरगामा जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 10979	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
46	देवन्ती देवी पति- शिवजी महतो ग्राम- रौजा पोखरा नई बस्ती पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण एम0सी0एस-ई0 80145	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

47	कुसुम देवी पति- बाबु लाल यादव ग्राम- गोपालपुर पो0- भभता थाना- साठी जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9686	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	नीतीश कुमार पिता- बृजमोहन राय ग्राम- हीरा टोला पो0- शेरपुर थाना- मनेर जिला- पटना एम0सी0एस-10363487	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	नाजिम पिता- सफीउर रहमान ग्राम- तेघरिया पो0- कन्हैयाबाडी थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज एम0सी0एस- 10359270 / जी0 13379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	असलम जैद पिता- हकीम याहा ग्राम+पो0- भट्टा थाना-काशीचक जिला- नवादा एम0सी0एस-10368159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	ऋषिका कुमारी पिता- अतीश कुमार यादव ग्राम- सोभनचक पोस्ट-बलिवन सागर थाना विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगज एम0सी0एस-10368099	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सिमपी कुमारी पति अखिलेश कुमार ग्राम- लहलादपुर पो0- सैदाबाद थाना- रानी तालाब जिला- पटना एम0सी0एस- 10365479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	सीता देवी पति- मानिक चन्द प्रसाद ग्राम- मठिया पो0- केसरिया थाना केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10366359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	मेहरुन नेशा पति- मो० जमालुदीन मसूरी ग्राम+पो०- मधुबन थाना- मधुबन पी०एस० जिला- पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस- 10362421	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
55	अनिता देवी पति- बिनोद सिंह ग्राम- मठिया भोपत पो०- मठिया भोपत थाना- लखौरा जिला- पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस- 10367753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
56	मो० रईस पिता- मो० अमिन ग्राम- खान बाबु अखारा मिर्जा पो०- महेन्दु थाना सुल्तानगज जिला- पटना एम०सी०एस-जी० 10998	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
57	ओम प्रकाश साह पिता- शिव नारायण साह ग्राम-वार्ड न०-3 फुलौत पो०- फुलौत थाना फुलौत जिला- मधेपुरा एम०सी०एस- 10364115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
58	राजेन्द्र साह पिता- अनुप साह ग्राम- बारो रामपुर टोला पो०- बारो थाना- फुलवरीया जिला बेगुसराय एम०सी०एस-जी० 12413	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
59	गीता देवी पति- शिव नारायण यादव ग्राम+पो०- महेशुआ थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा एम०सी०एस- 10363473	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
60	अनजालि देवी पति- धिरेन्द्र सिंह ग्राम- बेनबारी पो०- दगोल थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार एम०सी०एस- 10366190	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

61	प्रमिला देवी पति- फुचो यादव ग्राम- बगराहा पो0- बरैया थाना मगौर जिला- खगडिया एम0सी0एस- 10368164	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
62	कुन्दन कुमार पिता- रंजय चौधरी ग्राम- मखदुमपुर पाली ढिबरा पो0- अलीनगर पाली थाना- पाली जिला- जहानाबाद एम0सी0एस- 10366707	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
63	रेशमा खातुन पति- तुजममेल हक ग्राम- दलवा पो0- खुदना रूपसपुर थाना- रौतारा जिला- कटिहार एम0सी0एस- 10363840	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
64	राकेश कुमार दुबे पिता- स्व0 दीनानाथ दुबे ग्राम-दुबौली पो0- अम्मापाली थाना-पीरपैती जिला- भागलपुर एम0सी0एस- 10363517	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
65	मो0 अफसर रजा पिता- मो0 मुसा ग्राम-काफील सरपच टोला पोस्ट+थाना सिमराहा जिला-अररिया एम0सी0एस- 10366052	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
66	रेणु देवी पति- नरेश कुमार ग्राम+पो0-तिलकमाझी थाना- तिलकमाझी जिला- भागलपुर एम0सी0एस- 10365115	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
67	कौशल किशोर उपाध्याय पिता- विद्या उपाध्याय ग्राम- चगोरी पो0-सेसम्बा थाना- शकुराबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस- 10367782	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

68	शिवाशु कुमार पिता— सुरेन्द्र कुमार ग्राम—खुर्दकोल पो0—कौशलपुर थाना— अमरपुर जिला— बाका एम0सी0एस— 10367737	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
69	सुषमा देवी पति— उमानाथ सिंह ग्राम— अलावलपुर पो0— अलावलपुर थाना— गौरीचक जिला पटना एम0सी0एस— 10366729	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
70	आशा देवी पति—प्रदीप चौधरी ग्राम—कदराबाद पो0 बछवारा थाना— बछवारा जिला— बेगुसराय एम0सी0एस—10365590	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
71	निर्मला देवी पति— बैद्यनाथ सिंह ग्राम— केराई पो0—केराई थाना— विभुतीपुर जिला— समस्तीपुर एम0सी0एस—10360773	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
72	रामानन्द सिंह पिता— धनेश्वर सिंह ग्राम— महदपुरा पोस्ट— बढेता थाना— परसबीगहा जिला— जहानाबाद एम0सी0एस—जी0 8217	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
73	अनिला देवी पति— चन्दन कुमार राय ग्राम— गनौनी पो0—गोडामान सिंह थाना—जमालपुर जिला—दरभंगा एम0सी0एस— 10366779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
74	राहुल कुमार पिता— छेदी सरदार ग्राम—गडहा पो0— बरियाही थाना— शकरपुर जिला—मधेपुरा एम0सी0एस— 10367436	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

75	सुशीला देवी पति-जमादार सिंह ग्राम-धरहरी पो0- छौडादानो थाना-छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10364483	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	प्रिस कुमार पिता- स्व सजय सिंह ग्राम- नया गाव वार्ड 4 पो0- छिन्नौर थाना- नयागाव पी0एस0 जिला- बेगुसराय एम0सी0एस- 10365160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	मीनु कुमारी पिता- महेन्द्र प्रसाद ग्राम- मुरारपुर ब्रह्मस्थान पो0- बिहार शरीफ थाना लहेरी जिला- नालदा एम0सी0एस-एफ 83786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	मो0 शकील पिता- मो0 नाजीर ग्राम-अलमीजान नगर नोहसा पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला पटना एम0सी0एस-एफ 99271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	अश कुमार पिता- सुर्यवशी सहाय ग्राम- त्रिपोलिया पथरी घाट पो0- गुलजारबाग थाना आलमगज जिला पटना एम0सी0एस-एफ 48223	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	मरनी देवी पति- राम ईश्वर सिंह ग्राम- गरारी पो0- तेलहा थाना- कोच जिला गया एम0सी0एस-10367453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	सहाना खातुन पति- समुदिन बैठा ग्राम- कहारपुर पो0- हरिओ थाना झडापुर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-10364211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	उषा देवी पति- बबलु सिंह ग्राम- दयालचक पो0- कोटवा पट्टी थाना- डोरीगज जिला- सारण एम0सी0एस-ई0 79400	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	धर्मेन्द्र दास पिता- महेन्द्र दास ग्राम- राम दासपुर पो0- सोधो थाना- गोरौल जिला वैशाली एम0सी0एस-10367334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	सरिता कुमारी पति- कुन्दन कुमार सिंह ग्राम+पो0- बभनगामा थाना-बिहपुर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-10365239	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	अकमल हुसैन पिता- अलताफ हुसैन ग्राम- लक्ष्मीपुर मदरसा टोला पो0- कोढो बाडी थाना- कोधोबरी जिला- किशनगज एम0सी0एस-10367912	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	राम गुलाम ठाकुर पिता- जामुन ठाकुर ग्राम-गरवा पो0- सोंगी थाना फुलपरास जिला मधुबनी एम0सी0एस-एफ 25378	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	मुकेश कुमार पिता- रविन्द्र कुमार ग्राम- पुरा पो0- फुलेलपुर थाना बाढ जिला पटना एम0सी0एस-10368222	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	लालती देवी पति- नन्दु महतो ग्राम-पो0 गोलकपुर थाना-घोषी जिला- जहानाबाद एम0सी0एस-10328001	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	धनेश्वरी देवी पति- नन्दे राजवशी ग्राम-रगपुर पो0- जेठीयन थाना- अतरी जिला- गया एम0सी0एस-जी0 10118	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	मजु देवी पति- हरि लाल साह ग्राम-बराटपुर पो0- बसतपुर थाना- वीरपुर जिला सुपौल एम0सी0एस- 10366306	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	मुरलीधर सिंह पिता- तिमकेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- डुमरा थाना- अकबरपुर जिला- पूर्णियाँ एमसीएस न0- एफ 49070 / 10294962	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 73,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 73,00,000/- (तीहत्तर लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2310(14)

पटना, दिनांक

11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध संस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फगुनी साह पिता- हरी साह ग्राम- मिर्जापुर पो०- परमानंदपुर थाना- पुनौरा जिला- सीतामढ़ी	हृदय रोग डीवीआर	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	अर्जुन प्रसाद पिता- स्व० वृजनदन प्रसाद ग्राम- चचाकचादा पो०+थाना- खुशरूपुर जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	प्रमिला देवी पति- चंद्र भूषण यादव ग्राम- बाबुराही पो०- शालिग्रामी थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	सिध्यानंद मंडल पिता- चमरू मंडल ग्राम- भोटगोव धनतोला पो०- कनखुदिया थाना- पलासी जिला- अररिया	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	विकाश कुमार पिता- रामू साव ग्राम- अलीपुर पो०- करजा थाना- नौबतपुर जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	कौशल किशोर सिंह पिता- रामवृक्ष सिंह ग्राम+पो0- राणा बीघा थाना- बाढ़ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			5,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,45,000/- (पाँच लाख पैतालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2311(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/8/26
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,

ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **05.08.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गीता देवी पति- दिनेश सिंह ग्राम+पो0- फतेहपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना	Perforated Appendix With Peritonitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /-(एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **000870** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

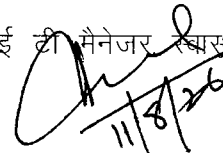
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 23/2/14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/8/26
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **05.08.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मृत्युजय कुमार सिंह पिता- स्व० कृष्ण मुरारी सिंह ग्राम- 101 दानी कृष्णा अपार्टमेंट 5ए/7 विवेकानन्द मार्ग नॉर्थ श्रीकृष्णापुरी पो०- पाटलीपुत्रा थाना- श्रीकृष्णापुरी जिला- पटना रजि न०- 3000507223	किडनी रोग डायलेसिस	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	विन्देश्वरी मंडल पिता- स्व० जगत मंडल ग्राम- दुर्गापुर मिलिक टोला पो०- दुर्गापुर थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न०- 3000544888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	धीरज कुमार पिता- दयाराम यादव ग्राम- लदौरा पो०- सहसी थाना- अलौली जिला- खगड़िया यूएचआईडी न०- 3000637955	Severe Aplastic Anemia	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	ललन प्रसाद पिता- भगवान प्रसाद ग्राम- चमडीह पो०+थाना- चाकन्द जिला- गयाजी यूएचआईडी न०- 3000632196	Severe Aplastic Anemia	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	पन्ना लाल साह पिता- गणेशी शह ग्राम- कल्याणपुर वार्ड 03 पो0- सा कमाल थाना- साहेबपुर जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न0- 3000649632	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	अजय कुमार पिता- उमाशकर प्रसाद ग्राम- सक्सेना रोड मस्तीपुर पो0+थाना- बोधगया जिला- गयाजी यूएचआईडी न0- 3000650422	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो0 रिहान पिता- मो0 अय्यूब ग्राम- एकौहुवा पो0- बरसोनी थाना- डगरुआ जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न0- 3000640585	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रामोतार ठाकुर पिता- रामस्वरूप ठाकुर ग्राम- बिशनपुर वार्ड 11 पो0- अमरीबिशनपुर थाना- बिहपुर जिला- भागलपुर यूएचआईडी न0- 3000636300	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	दिलीप रजक पिता- साधु प्रसाद रजक ग्राम- पतसा पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000649686	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रुबी देवी पति- बिट्टू राय ग्राम- पोसुआ वार्ड 13 पो0- पोसुआ थाना- रिगा जिला- सीतामढी यूएचआईडी न0- 3000608316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	रतन बनिक पिता- गणेश बनिक ग्राम- बेलबाग बगाली कॉलोनी वार्ड 22 पो0- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000618231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	मनीष कुमार झा पिता- चद्र मोहन झा ग्राम- भदहर वार्ड 04 पो0- भदहर थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा यूएचआईडी न0- 3000546768	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	कमलेश कुमार पिता- सिद्धनाथ सिंह ग्राम- शिव नदन मिश्रा रोड डुमराव वार्ड 19 पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर यूएचआईडी न0- 3000555969	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सूर्यनारायण सहनी पिता- कामेश्वर सहनी ग्राम+पो0- बरुआर थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी यूएचआईडी न0- 3000646138	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	कौशल किशोर यादव पिता- महेद्र प्रसाद यादव ग्राम- बलहा पो0- गढिया थाना- बनगाव जिला- सहरसा यूएचआईडी न0- 3000615998	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	चुनचुन कुमारी पति- राजेश कुमार ग्राम- प्रसाद वार्ड 15 पो0- पखनाहा श्रीरा थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर यूएचआईडी न0- 3000650324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	श्रवण कुमार पिता- ओम प्रकाश ग्राम- नन्दलाल छपरा पो0- ईस्ट लक्ष्मी नगर थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000639172	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	मो0 अय्याज आलम पिता- पाजो शाह ग्राम+पो0- देशना थाना- अस्थवा जिला- नालदा यूएचआईडी न0- 3000646141	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	सुभाष चद्र सिन्हा पिता- कैलू चरण सिन्हा ग्राम- शुभाष नगर पो0- गिरजा चक थाना- के0 हाट जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी न0- 3000651603	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	वासुदेव यादव पिता- सूरत लाल यादव ग्राम- झहुरा पो0- रहरिया थाना- निर्मली जिला- सुपौल यूएचआईडी न0- 3000644699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

21	महिउद्दीन अंसारी पिता— नबीजान अंसारी ग्राम— आशाभाग वार्ड 13 पो0— बटराहा थाना— सोनमणि जिला— अररिया यूएचआईडी न0— 3000604191	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
22	शादाब आलम पिता— अजहर हुसैन ग्राम+पो0— मजगामा थाना— कसबा जिला— पूर्णिया यूएचआईडी न0— 3000630539	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
23	रजीत कुमार पिता— चदेश्वर महतो ग्राम— कराय पो0— लहसुना थाना— मसौदी जिला— पटना यूएचआईडी न0— 3000650516	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
			17,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,80,000/- (सतरह लाख अरस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000870** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **16498260000011** खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम—**एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0**, शाखा का नाम—AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण

पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2313(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 05.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कन्हैया प्रसाद पिता— महेद्र राम ग्राम+पो०+थाना— सरमेरा जिला— नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	निवास कुमार पिता— धमेन्द्र कुमार पासवान ग्राम— बादलपुर डीह पो०— धनगावां थाना— तेलहारा जिला— नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	गुड्डू राय पिता— लालू राय ग्राम— बागर पो०— पि हलई थाना— हलई जिला— समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	रेखा देवी पति— अरविन्द कुमार पासवान ग्राम+पो०— साढ थाना— परनाडाबर जिला— नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
5	अर्जुन प्रसाद पिता— देवकी महतो ग्राम— शेरपुर पो०+थाना— वारसलीगज जिला— नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

6	भाग्यनारायण सिंह पिता- वशलोचन सिंह ग्राम+पो0- दाउदपुर थाना- पारु थाना- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
7	कविता कुमारी पति- राजेन्द्र कुमार ग्राम- मोहनपुर पो0- धनामा थाना- चन्द्रदीप जिला- जमुई	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	सगीता कल्याणी पति- राहुल रजन सिन्हा ग्राम- चंडी रोड हरनौत पो0+थाना- हरनौत जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			10,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,20,000/- (दस लाख बीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000870 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 23/4 (14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000870 ...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1./2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सूरज देवी पति- शिव बचन शर्मा ग्राम- सफेपुर पो०- नोनही थाना- काको जिला- जहानाबाद	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	योगेन्द्र कुमार पिता- ठाकुर दुन्ना प्रसाद ग्राम- विष्णुपुरी चितकोहरा पो०- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	राधा देवी पति- राम प्रवेश काश्यप ग्राम- बाबू गंज पो०+थाना- डेहरी जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० डी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ

इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० **SBIN0009005** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।** प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2315 (14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० **000870** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/8/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दयानंद मंडल पिता- बालदेव मंडल ग्राम- खुशीपरास पो०+थाना- झांझा जिला- जमुई	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रजू देवी पति- महेश कुमार मंडल ग्राम- मुश्कीपुर कोठी ग्राम- जमालपुर गौगरी थाना- गोगरी जिला- खगड़िया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	स्वेता सिन्हा पति- कुंदन ग्राम- शिवपुर तिकिया टोली महेद्रू पो०- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अरुण कुमार ओझा पिता- स्व० श्याम नंदन ओझा ग्राम- नगाईन पो०- देवहरा थाना- गोह जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 440720110000498 खाता धारक का नाम— Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 23/6 (14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0 बी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति- कृष्ण नंदन सिंह ग्राम- भीखा विशनपुर पो0- किशनपुर थाना- सहियारा जिला- सीतामढ़ी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुमित्रा देवी पति- अनिल प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- सिझौड़ी थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पार्वती देवी पिता- सरयुग मिस्त्री ग्राम- नेहरू नगर वन विभाग पो0- सदाकत आश्रम थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुशीला देवी पति- पंकज कुमार ग्राम+पो0- टेहटा थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मदन प्रसाद मिश्रा पिता- योगेन्द्र मिश्रा ग्राम+पो0- शिवदाहा बरैल थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			4,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000870... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्स्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

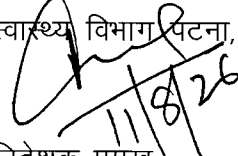
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2317(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000870... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/8/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्टा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **05.08.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूजा कुमारी पति- धर्मेन्द्र कुमार ग्राम- दरियापुर नया टोला पो०+थाना- फतुआ जिला- पटना	Gall Bladder Stone	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2318(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000870की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई वी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **05.08.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राणा सुरेश कुमार पिता— स्व० जयनाथ सिंह ग्राम— खोरीपाकर गोविन्द पो०+थाना— अमनौर जिला— सारण	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	प्रतिमा देवी पति— राहुल कुमार ग्राम— कौंट फैक्ट्री रोड राजीव नगर पो०— लोहिया नगर थाना— पत्रकार नगर जिला— पटना	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			2,40,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,40,000 /— (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०—**00030400000914** खाता धारक का नाम—“Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

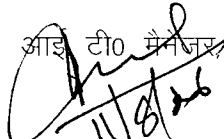
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2320(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000870 ... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/8/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रुकशाना खातून पति- अली हुसैन ग्राम- मधुबनी घाट वार्ड 15 पो०- मधुबनी घाट थाना- मुफसिल जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मनोज शर्मा पिता- फुलेना शर्मा ग्राम- दाढी बाढी वार्ड 16 पो०+थाना- बनियापुर जिला- सारण	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000870 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम .. RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2321(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/8/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 05.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	झूलन राय पिता— विश्वनाथ यादव ग्राम— जमुआवा पो०— पडोई थाना— परसबिगहा जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	उर्मिला देवी पति— उदय शर्मा ग्राम+पो०— मोकर थाना— कडौना जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	शीला देवी पति— तपेश्वर प्रसाद ग्राम+पो०— मोकर थाना— कडौना जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शारदा देवी पति— सुरेश यादव ग्राम— तिनेरी पो०— नदौल थाना— मसौढी जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	रामकलिया देवी पति— तपेश्वर प्रसाद ग्राम+पो०— मोकर थाना— कडौना जिला— जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	जगत राय पिता- अवधेश यादव ग्राम- जमुआवा पो0- पंडौई थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	वदमिया देवी पति- घनश्याम सिंह ग्राम- जमुआवा पो0- पंडौई थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	चदेश्वर साह पिता- सीताराम साह ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	लाल बाबु राय पिता- अवधेश यादव ग्राम- जमुआवा पो0- पंडौई थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	रजनी देवी पति- भवनाथ साव ग्राम+पो0- मोकुर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं० UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2322(14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निर्देशक प्रमुख

सेवा में,

पप्पू कुमार
पिता— जगरनाथ राय
ग्राम— सुन्दर सराय
पो०+थाना— मोतीपुर
जिला— मुजफ्फरपुर
पिनकोड— 843111

पटना दिनांक. ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 05.08.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पप्पू कुमार पिता— जगरनाथ राय ग्राम— सुन्दर सराय पो०+थाना— मोतीपुर जिला— मुजफ्फरपुर पिनकोड— 843111	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक—30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /— (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000870 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०—576210110008756, खाता धारक का नाम— PAPPU KUMAR SO JAGANNATH RAY, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— BANK OF INDIA, शाखा का नाम— MOTIPUR (MUZAFFARPUR), IFSC कोड स०— BKID0005762 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

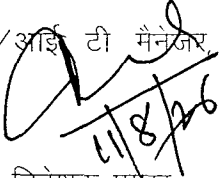
ह० /—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2326 (14)

पटना, दिनांक 11/8/2026

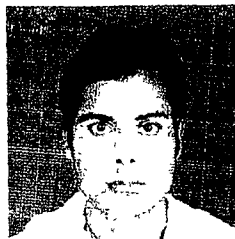
प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000870 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/8/26
निदेशक प्रमुख

चेतावनी

थोखेबाजों से देश में ही नहीं अथवा विदेश से मिलने वाले फर्जी प्रस्ताव/सदेश/एसएमएस जैसे लॉटरी विजेता, सस्ती फंड प्रस्ताव, नौकरी के प्रस्ताव, छात्रवृत्ति के प्रस्ताव, उत्पन्न वीसा के प्रस्ताव, विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रस्ताव और ऐसे ही अन्य प्रकार के फर्जी प्रस्तावों से सावधान रहें।



WARNING

Beware of fictitious offers, messages/ SMS about lottery winning, cheap, Fund Offer, employment offers, scholarship offers, offer of emigration visas, offer of admission to reputed universities abroad and similar such offers from fraudsters within the country or from abroad.

बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India

Name : MOTIPUR (MUZAFFARPUR)
Address : AT & POST MOTIPUR, DISTT MUZAFFARPUR
BIHAR, MUZAFFARPUR, 843111
Tel. : 9934021527
Email : Motipur.Muzaffarpur@bankofindia.co.in
IFSC Code : BKID0005762
MICR Code : 842013513
Customer Id : 159908894
Account No : 576210110008756
Name : 1. PAPPU KUMAR SO JAGANNATH RAY

Occupation : PAY EMPLOYEE
Address : SO JAGANNATH RAY
VILL PD SUNDAR SARAY PS MOTIPUR
MUZAFFARPUR 843111
BIHAR INDIA
Operational Inst: SELF
Nomination : REGD.
A/C Open Dt. : 19-08-2015

For your queries / enquiry

Toll free no. of our call center: 1800220229, 18001031906

Grievance Redress Officer, ZO: _____

Grievance Redress Officer, Branch: 0034027527

This pass book is system generated and does not require any initials